सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-2390/MRLY/41/2025-RU-IV दिनांक : 19.01.2026

सेवा मे,

1 **महाप्रबंधक,**
उत्तर पश्चिम रेलवे,
रेलवे कार्यालय परिसर, नेहरू मार्ग,
जयपुर, राजस्थान 302017
E.mail: gm@nwr.railnet.gov.in

2 **The General Manager,**
Southern Railway Headquarters,
Park Town,
Chennai - 600003.
E.mail: gm@sr.railnet.gov.in

विषय: इंटर रेलवे स्थानांतरण में तथाकथित भेदभाव करने के संबंध में- श्री प्रेम चन्द मीना, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/सेलम (दक्षिण रेलवे), ग्राम-सराय, पोस्ट-गंडाल, तहसील-बामनवास, जिला-सवाई माधोपुर (राजस्थान) का पत्र/अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

यो.प.यादव

यो. पी. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:

श्री प्रेम चन्द मीना,
मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/सेलम (दक्षिण रेलवे),
ग्राम-सराय, पोस्ट-गंडाल, तहसील-बामनवास,
जिला-सवाई माधोपुर (राजस्थान) - 322204,
premmeena150685@gmail.com
Mobile No:8058339780

PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-2390/MRLY/41/2025-RU-IV

इंटर रेलवे स्थानांतरण में तथाकथित भेदभाव करने के संबंध में- श्री प्रेम चन्द मीना, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/सेलम (दक्षिण रेलवे), ग्राम-सराय, पोस्ट-गंडाल, तहसील-बामनवास, जिला-सवाई माधोपुर (राजस्थान) के दिनांक 15.04.2025 के पत्र/अभ्यावेदन के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोग के मुख्यालय में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत |

सिटिंग की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को अपराह्न 01:50 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्रक-1 के अनुसार

श्री प्रेम चन्द मीना, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/सेलम (दक्षिण रेलवे), ग्राम-सराय, पोस्ट-गंडाल, तहसील-बामनवास, जिला-सवाई माधोपुर (राजस्थान) की शिकायत दिनांक 15.04.2025 को पत्र द्वारा आयोग में प्राप्त हुई । श्री प्रेम चन्द मीना ने यह उल्लेख किया है कि उनके स्वयं के अनुरोध पर इंटर रेलवे स्थानांतरण में तथाकथित भेदभाव कर उनके जूनियर को इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) दे दी गई लेकिन PCPO कार्यालय, जयपुर (उत्तर-पश्चिम रेलवे) और कार्मिक अधिकारी, रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर (उत्तर-पश्चिम रेलवे) में मिलने और आवेदन पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री प्रेम चन्द मीना ने इस संबंध में PCPO कार्यालय, जयपुर (उत्तर-पश्चिम रेलवे) और कार्मिक अधिकारी, रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर (उत्तर-पश्चिम रेलवे) द्वारा उनके साथ पक्षपात कार्रवाई करने पर आयोग को अनुरोध किया है कि उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) दिलवाते हुए स्थानांतरण करवाने की कृपा करें।

2. मामले में आयोग द्वारा विगत में दिनांक 20.06.2025 के नोटिस द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर को विषय से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस निर्गत किया था। वांछित सूचना प्राप्त न होने पर दिनांक 07.10.2025 को आयोग द्वारा उनको अनुस्मारक भेजा गई किन्तु संबंधित कार्यालय से अभी तक नोटिस के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रतिक्रिया/सूचना/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

3. मामले में संबंधित विभाग से कोई रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा मामले में दिनांक 02.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार महाप्रबंधक , उत्तर –पश्चिम रेलवे ,जयपुर को सिटिंग नोटिस प्रेषित किया गया |

4. मामले में महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पत्र सं. 785 ई (एसटी)/2/24/2025 दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) एवं लाइजनिंग अधिकारी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नामित किया गया। निर्धारित तिथि पर नामित अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदक स्वयं भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

5. सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों ने बताया कि श्री प्रेम चन्द मीना ने स्वयं के अनुरोध पर अंतर-रेलवे स्थानांतरण के लिए आवेदन किया, जिसे दक्षिण रेलवे ने 29.04.2021 को उत्तर पश्चिम रेलवे भेजा, परंतु जयपुर मुख्यालय में सीधी भर्ती कोटे (लेवल-6) में रिक्ति न होने के कारण प्रकरण 02.06.2021 को जोधपुर मंडल भेजा गया। जोधपुर मंडल ने 10.09.2021 को निम्नतम वरीयता में सहमति जारी की, किंतु सेलम मंडल ने रिक्तियों की अधिकता का हवाला देते हुए 2022–2023 तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया। मंत्रालय द्वारा एचआरएमएस आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई और 20.11.2024 को सेलम मंडल को सूचित किया गया कि स्थानांतरण आवेदन अब पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएँ। इसी अवधि में अहमदाबाद मंडल के कर्मचारी श्री मुरारी लाल साध के ऑनलाइन आवेदन पर सभी कार्रवाई पूर्ण कर जोधपुर मंडल ने 10.12.2024 को सहमति दी और वे जनवरी 2025 में जोधपुर में पदस्थापित भी हो गए। फरवरी 2025 में चेन्नई द्वारा पुनः रिक्तियों की अधिकता का हवाला देते हुए श्री मीना को कार्यमुक्त न करने की सूचना दी गई, और सहमति अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद सेलम मंडल ने उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया। विभाग का कहना है कि वर्तमान में सीधी भर्ती कोटे में रिक्ति उपलब्ध न होने से श्री मीना की सहमति बढ़ाना संभव नहीं है और दूसरे कर्मचारी के प्रकरण में दी गई सहमति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

6. सुवनाई आवेदक ने यह अवगत कराया कि उन्होंने स्थानांतरण हेतु जोधपुर एवं जयपुर—दोनों स्थानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु संबंधित विभाग द्वारा उनका जयपुर विकल्प जानबूझकर जोधपुर को अग्रेषित कर दिया गया, जबकि उक्त आवेदन को अन्य उपयुक्त स्थानों पर भी भेजा जा सकता था। इस पर उपस्थित अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि आवेदक द्वारा आवेदन में जयपुर अथवा जोधपुर—दोनों में से किसी एक स्थान का विकल्प निर्दिष्ट किया गया था, तथा जोधपुर में रिक्ति उपलब्ध होने के कारण ही उनका आवेदन जोधपुर मंडल को अग्रेषित किया गया।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

7. मामले में सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

I. आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे स्थानांतरण हेतु अपना आवेदन HRMS पोर्टल पर प्रस्तुत करें।

II. उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा श्री प्रेम चन्द मीना के लंबित इंटर-रेलवे अनुरोध स्थानांतरण प्रकरण को HRMS पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जाए तथा उपलब्ध प्रथम समकक्ष रिक्ति (जोधपुर मंडल अथवा उत्तर पश्चिम रेलवे के अन्य उपयुक्त मंडल/कार्यालय) पर दक्षिण रेलवे द्वारा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यमुक्त किया जाए।

नोट: सिटिंग के कार्यवृत की प्रति महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे, चेन्नई को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
08/01/2026

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NCST/SER-2390/MRLY/41/2025-RU-IV

Sitting to be held on **02.12.2025 at 01.50 P.M**- इंटर रेलवे स्थानांतरण में तथाकथित भेदभाव करने के संबंध में- **श्री प्रेम चन्द मीना,** मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/सेलम (दक्षिण रेलवे), ग्राम-सराय, पोस्ट-गंडाल, तहसील-बामनवास, जिला-सवाई माधोपुर (राजस्थान) का दिनांक 15.04.2025 का पत्र/अभ्यावेदन ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o General Manager, North Western Railway, Jaipur**		
1.	विनोद कुमार, CPO/Adm	उपरे मुख्यालय जयपुर 9001195601	[signature]
2.	आर.के. [illegible] DyCPO/RP	उ.प.रे. मुख्यालय 9001195606	[signature]
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	प्रेमचन्द मीना	मु.क. एवं कल्याण नि.	[signature]
2.			